भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.408
उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2024

वर्ष 2023 में विश्व में इंटरनेट शटडाउन

408. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः
डॉ. शशि थरूरः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि भारत में वर्ष 2023 में, विश्व में हुई इंटरनेट शटडाउन की घटनाओं के सबसे ज्यादा मामले हुए हैं;
(ख) क्या यह सच है कि यह लगातार छठा वर्ष था जब भारत में इस तरह की घटनाओं की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई;
(ग) क्या विगत वर्ष देश में 116 बार इंटरनेट बंद किया गया था;
(घ) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश शटडाउन आदेशों को स्थानीय स्तर के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर लागू किया गया था; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ङ) किसी भी लोक आपात की स्थिति या लोक सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 में निहित प्रावधानों के तहत इंटरनेट सेवा के अस्थायी निलंबन के आदेश जारी करने का अधिकार है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निलंबन आदेशों को जनसाधारण के लिए जारी करना अनिवार्य किया है; और दूरसंचार सेवाओं के निलंबन हेतु जारी सभी आदेशों को आनुपातिकता के सिद्धांत का अनुपालन करना होगा; और यह निर्धारित अवधि की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेशों को दिनांक 10.11.2020 को राज्यों के सभी मुख्य सचिवों/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को सूचित कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रिकृत रूप से राज्य सरकार/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए इंटरनेट निलंबन आदेशों से संबंधित विवरण का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

****